न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः-डॉ.रविन्द्र गोस्वामी,I.A.S.

प्रकरण संख्या -22/2017 (अपील)

जीसीएमएस न0 2017/00048

मोडूलाल आत्मज गोरधन जाति कुशवाह निवासी ग्राम खेडा रसूलपुर, तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0

--अपीलाण्ट.

बनाम

1. मनोज कुमार
2. तुलसीराम
   पिसरान रघुनाथ जाति कुशवाह निवासी ग्राम खेड़ा रसूलपुर, तहसील लाडपुरा जिला कोटा
3. ललिता बाई पत्नि मुकट बिहारी पुत्री रघुनाथ जाति कुशवाह निवासी कबाडियों का चोक गणेश गली बून्दी जिला बून्दी मृतक जरिये कायम मुकामान-
   3/1 रमेशचन्द पुत्र मुकुट बिहारी (बून्दी वाले) जाति कुशवाह निवासी मिलाट नगर देवली अरब रोड बोरखेडा कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (मृतक का पुत्र)
   3/2मन्जु बाई पत्नि विष्णु जाति कुशवाह निवासी अर्जुन मिष्ठान वाली गली बोरखेडा, तहसील लाडपुरा कोटा(मृतक की पुत्री)
   3/3 मुकुट बिहारी पुत्र छोटूलाल जाति कुशवाह निवासी कबाडियों का चोक गणेश गली बून्दी जिला बून्दी (मृतक का पति)
4. गंगा पत्नि स्व0 अर्जुन लाल पुत्री रघुनाथ जाति कुशवाह निवासी पेट्रोल पम्प के पास बोरखेड़ा कोटा
5. ओमाबाई पुत्री स्व0 रघुनाथ पत्नि प्रभूलाल जाति कुशवाह निवासी एच0डी0एफ0सी0 बैंक के सामने कैथून रोड ग्राम जालखेडा, पोस्ट खेडा रसूलपुर तहसील लाडपुरा कोटा

--रेस्पोडेन्ट.

न्यायालय जिला कलक्टर कोटा

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्व इंतकाल संख्या 622दिनांक 10.03.2017 न्यायालय तहसीलदार

उपस्थिति

1. श्री उत्तमचन्द खण्डेलवाल, अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री जगदीश नन्दवाना अभिभाषक रेस्पो0 नं0 1, 2 व 5

निर्णय

दिनांक-17.06.2025

1. अपील का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम धाकड़खेडी में खाता संख्या 147 की किता-10 की 4.12 हे0 भूमि एवं खाता संख्या 148 के ख0नं0 577 की 0.30 हे0 भूमि खातेदार रघुनाथ पुत्र माधो जाति काछी निवासी खेड़ा रसूलपुर के नाम दर्ज रेकार्ड थी खातेदार रघुनाथ जी के फोत होने पर मुताबिक मृत्यु प्रमाण पत्र रिपोर्ट पटवारी व मौका पर्चा एवं जांच आई एल आर के तहसीलदार लाडपुरा ने नामान्तरकरण संख्या 622 दिनांक 10.3.2017 से रघुनाथ जी के वारिसान रेस्पोडेन्टगण के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया ।

जिला कलक्टर कोटा

2. अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार लाडपुरा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 622 दिनांक 10.03.2017 की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 03.04.2017 को प्रस्तुत की गई है कि इंतकाल की वर्णित भूमि अपीलांट एवं रस्पोडेन्टगण के दादाजी माधोजी के खाते की भूमि थी । माधो जी के दो पुत्र जिसमें अपीलान्ट के पिता गोरधन

जी एवं रेस्पोडेन्ट के पिता रघुनाथ जी थे जो उनके जायज वारिस एवं उत्तराधिकारी थे । इस प्रकार माधो जी के स्वर्गवास के बाद उक्त भूमि गोरधन जी एवं रघुनाथ जी के संयुक्त खाते में दर्ज की जानी चाहिये थी किन्तु रेस्पोडेन्ट के पिता स्वर्गीय रघुनाथ जी ने माधोजी की एक वसीयत बताते हुये जो पूर्ण रूप से फर्जी बनावटी एवं अवैध थी के आधार पर वादग्रस्त भूमि रघुनाथ जी के स्वयं के खाते में दर्ज करवा ली,जिस कारण अपीलान्ट के पिता को 30.11.1996 को घोषणा खोतेदारी दुरूस्ती इन्द्राज एवं विभाजन आराजी का एक नियमित वाद प्रस्तुत करना पड़ा । दौराने वाद अपीलान्ट के पिता का स्वर्गवास हो गया जिनके कायम मुकामान अपीलान्ट एवं माता को बनाया गया । दिनांक 27.7.2012 को उक्त वाद का अंतिम निस्तारण करते हुए वाद को खारिज कर दिया गया जिसके विरूद्व अपीलान्ट ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा मे अपील प्रस्तुत की गई तथा दिनांक 8.8.12 को ही राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया जिसका अंकन राजस्व रिकार्ड में भी कर दिया गया । दौराने अपील विचाराधीन के रेस्पोडेन्ट के पिता रघुनाथ का स्वर्गवास हो गया तथा अपीलान्ट की माता का भी स्वर्गवास हो गया । इस प्रकार नियमित वाद के विचाराधीन रहते हुए एवं स्थगन प्रभावशील रहते हुए भी रघुनाथ जी का फोती इंतकाल तस्दीक कर रेस्पोडेन्ट का नाम दर्ज किया गया है जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण अवैध एवं अधिकार क्षेत्र से परे है तथा निरस्तनीय है ।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड सम्मन जारी किये गये । रेस्पो0 नं0 1,2 व 5 की ओर से जगदीश नन्दवाना अभिभाषक का वकालतनामा पेश हुआ, शेष रेस्पो0 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से अनुपस्थिति दर्ज की जाकर उपस्थित विद्वान अभिभाषक गण की बहस सुनी गई ।
4. वकील अपीलांट ने अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही अपनी बहस में दोहराते हुए कथन किया है कि इंतकाल की वर्णित भूमि अपीलांट एवं रस्पोडेन्टगण के दादाजी माधोजी के खाते की भूमि थी । माधो जी के दो पुत्र जिसमें अपीलान्ट के पिता गोरधन जी एवं रेस्पोडेन्ट के पिता रघुनाथ जी थे जो उनके जायज वारिस एवं उत्तराधिकारी थे । इस प्रकार माधो जी के स्वर्गवास के बाद उक्त भूमि गोरधन जी एवं रघुनाथ जी के संयुक्त खाते में दर्ज की जानी चाहिये थी किन्तु रेस्पोडेन्ट के पिता स्वर्गीय रघुनाथ जी ने माधोजी की एक वसीयत बताते हुये जो पूर्ण रूप से फर्जी बनावटी एवं अवैध थी के आधार पर वादगस्त भूमि रघुनाथ जी के स्वयं के खाते में दर्ज करवा ली,जिस कारण अपीलान्ट के पिता को 30.11.1996 को घोषणा खोतेदारी दुरूस्ती इन्द्राज एवं विभाजन आराजी का एक नियमित वाद प्रस्तुत करना पड़ा । दौराने वाद अपीलान्ट के पिता का स्वर्गवास हो गया जिनके कायम मुकामान अपीलान्ट एवं माता को बनाया गया । दिनांक 27.7.2012 को उक्त वाद का अंतिम निस्तारण करते हुए वाद को खारिज कर दिया गया जिसके विरूद्व अपीलान्ट ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा मे अपील प्रस्तुत की गई तथा दिनांक 8.8.12 को ही राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया जिसका अंकन राजस्व रिकार्ड में भी कर दिया गया । दौराने अपील विचाराधीन के रेस्पोडेन्ट के पिता रघुनाथ का स्वर्गवास हो गया तथा अपीलान्ट की माता का भी स्वर्गवास हो गया । इस प्रकार घोषणा एवं विभाजन का नियमित वाद के विचाराधीन रहते हुए एवं स्थगन प्रभावशील रहते हुए भी नामान्तरकरण तस्दीक कर रघुनाथ जी के वारिसान का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर दिया दिया, जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण अवैध एवं अधिकार क्षेत्र से परे है तथा निरस्तनीय है । वकील अपीलान्ट ने न्यायिक निर्णय RRD May, 2005 page 310 Mukut chand v/s Devkichand &orsप्रस्तुत किया गया जिस अनुसार नियमित वाद के विचाराधीन रहते हुए पक्षकारों के स्वत्व की घोषणा तक नामान्तरकरण के कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए । दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा कथन किया है कि उक्त वर्णित भूमि के सम्बन्ध में नियमित वाद के विचाराधीन रहते हुए स्वीकृत नामान्तरकरण की कार्यवाही अवैध व विधि विरूद्व होने से निरस्त फरमाई जावें ।

जिला कलक्टर
कोटा

5. वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट के पिता रघुनाथ जी फोत होने पर उनका फोती इंतकाल रेस्पोडेन्टगण के नाम से स्वीकृत किया गया है । राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा मे प्रस्तुत अपील में भी रघुनाथ जी के फौत होने पर कायम मुकामान बनाये गये थे । वादग्रस्त भूमि का किसी

भी प्रकार से हस्तान्तरण नहीं किया है ना ही खुर्द बुर्द की गई है मात्र खातेदार के फौत होने पर फोती इंतकाल खोला गया है जिसमें कोई कानूनी बाधा नहीं है । वैसे भी वर्णित भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में विचाराधीन अपील का अन्तिम निर्णय होकर पुनः सहायक कलक्टर कोटा को रिमाण्ड किया जाने से विचाराधीन है, जिसमे हकों के निर्धारण होना है । नियमित वाद में अभी पक्षकारान के मध्य हक निर्धारित नहीं किया गया है, नामान्तरकरण एक संक्षिप्त कार्यवाही है, इसमें हक निर्धारित नहीं किये जा सकते है । प्रस्तुत अपील के जरिये नामान्तरकरण निरस्त नहीं किया जा सकता है । प्रस्तुत अपील का कोई औचित्य नहीं होने से खारिज फरमाई जावें ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपांत अवलोकन किया । ग्राम धाकड़खेडी में खातेदार रघुनाथ पुत्र माधो जाति काछी निवासी खेड़ा रसूलपुर के फौत होने पर मुताबिक मृत्यु प्रमाण पत्र रिपोर्ट पटवारी व मौका पर्चा एवं जांच आई एल आर के तहसीलदार लाडपुरा ने नामान्तरकरण संख्या 622 दिनांक 10.3.2017 से रघुनाथ जी के वारिसान रेस्पोडेन्टगण के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया, जिसकी अपील अपीलांट द्वारा इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्टगण के मध्य घोषणा एवं विभाजन का एक नियमित वाद की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में विचाराधीन थी तथा जहां से दिनांक 8.8.2012 को ही न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अन्तरिम स्थगन आदेश पारित किया हुआ होने के बाद भी दौराने अपील कार्यवाही रघुनाथ के फौत होने पर फौती इंतकाल रेस्पोडेन्टगण के नाम स्वीकृत करते हुए राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन किया गया है तथा इंतकाल निरस्त करने की प्रार्थना की है । वकील अपीलांट द्वारा न्यायिक निर्णय RRD May, 2005 page 310 Mukut chand v/s Devkichand &ors प्रस्तुत किया है जिस अनुसार पक्षकारों की बीच अधिकारों की घोषणा का दावा लम्बित रहते हुए नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं करनी चाहिए । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक निर्णय से हम सहमत है । किन्तु जब अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत हुआ उस समय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील विचाराधीन थी, जब राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने वर्णित भूमि के सम्बन्ध में स्थगन जारी किया हुआ था जो अपीलांट को स्थागन प्रभावशील रहते हुए तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत करने से कन्टेम्प्ट की कार्यवाही राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में प्रस्तुत करनी चाहिए थी । चूंकि अब अपील में अन्तिम निर्णय दिनांक 15.2.2019 को हो चुका है एवं सहायक कलक्टर कोटा में रिमाण्ड से प्राप्त होने पर प्रकरण विचाराधीन है तथा दोनों पक्षों के मध्य स्वत्व की घोषणा होनी है, ऐसी स्थिति में अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त करना उचित नहीं समझते है क्योंकि उक्त नामान्तरकरण एक संक्षिप्त कार्यवाही होकर राजस्व प्राप्ति मात्र के लिए खोला जाना आवश्यक था, जिसमें स्वत्व का निर्धारण नहीं हो सकता है, किन्तु सहायक कलक्टर कोटा में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन वाद के निस्तारण तक उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण को विवादित घोषित करना उचित पाते है ताकि भूमि खुर्द बुर्द नहीं की जा सकें ओर राजस्व रेकार्ड में कोई परिवर्तन नहीं हो सकें ।

7. उपरोक्त विवेचनानुसार प्रस्तुत अपील के जरिये नामान्तरकरण निरस्त किया जाना उचित नहीं पाते है किन्तु अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर सहायक कलक्टर कोटा में राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा से रिमाण्ड से प्राप्त होकर विचाराधीन नियमित वाद के अन्तिम निर्णय एवं स्वत्व की घोषणा होने तक अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 622 दिनांक 10.3.2017 को विवादित घोषित किया जाता है । निर्णय की प्रति तहसीलदार लाडपुरा को भिजवाई जाकर आदेश दिये जाते है कि नामान्तरकरण पर नियमित वाद के अन्तिम निर्णय तक विवादित का नोट अंकित करें ।

8. निर्णय आज दिनांक 17.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर कोटा
जिला कलक्टर
कोटा